अति महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या: 48/2021/1761031/2021/-2/145/2021

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 13.08.2021

विषय: प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं के विरूद्ध बीमा कवर प्रदान किया जाना।

महोदय,

कृपया प्रश्नगत संदर्भ में कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश के पत्रॉक एस-840/सी0-32/05/2021-22 दिनॉक 09 अगस्त, 2021 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. अवगत कराना है कि कृषि विभाग की अधिसूचना सं0-2020/1344/12-2-2020-60(3)/2016 दिनॉक 21 जुलाई, 2020 द्वारा प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 तक तीन वर्षों के लिए ग्राम्य पंचायत को इकाई मानते हुए लागू की गई है, तथा, जनपद स्तर पर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश सं0-866/12-2-2019-60(14)/2017, दिनांक 21 जुलाई, 2019 द्वारा जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति जिसके आप अध्यक्ष हैं, गठित की गई है। इस समिति का प्रथम दायित्व यह है की किसी भी आपदा के स्थिति में बीमित किसानो को योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमान्य क्षतिपूर्ति अनिवार्य रूप से समय पर उपलब्ध कराई जाये तथा अनुमाब्धित बीमा कंपनी अपने दायित्यों का अनुपालन कर सेवाएँ उपलब्ध कराएँ।

3. खरीफ 2021 मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई, 2021 थी। फसल बुआई से फसल कटाई के 15 दिन पूर्व तक योजनान्तर्गत निम्नलिखित तीन प्रकार का बीमा कवर प्रारम्भ हो गया है:-

1. असफल बुआई की स्थिति- क्षेत्रीय आधार पर।
2. मध्यावस्था क्षति- क्षेत्रीय आधार पर (फसल की प्रारम्भिक अवस्था से फसल कटाई के 15 दिन पूर्व तक)।
3. स्थानीय आपदा के विरूद्ध- व्यक्तिगत आधार पर।
4. प्रत्येक बीमा कवर के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया आपके संज्ञान में पुन: लाई जा रही है:-

1. <u>असफल बुआई की स्थिति-</u>

ग्राम पंचायत के अधिकांश क्षेत्र (ग्राम पंचायत का 75 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र) में प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण अधिसूचित फसलों की बुआई न कर पाने/असफल बुआई की स्थिति में दैवीय आपदा में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी:-

(क) जनपद के राजस्व व कृषि विभाग के क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत कार्मिकों द्वारा प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों से अधिसूचित फसलों की बुआई न कर पाने/असफल बुआई से प्रभावित ग्राम पंचायत, फसल से प्रभावित क्षेत्र की सूचना प्राथमिकता पर 03 कार्य दिवस के अन्दर जिलाधिकारी अथवा उप कृषि निदेशक, कार्यालय को लिखित रूप में दी जायेगी।

(ख) सूचनाओं के आधार पर जनपद के जिलाधिकारी/उप कृषि निदेशक द्वारा प्रभावित ग्राम पंचायत/फसल व फसल के क्षेत्रफल के विवरण को, आपदा की सूचना प्राप्त होने के 07 कार्य दिवस के

http://sriasandoosh.up.gov.in

अन्दर खरीफ मौसम में विलम्बतम 15 अगस्त तक लिखित रूप से बीमा कम्पनी को उपलब्ध कराया जाएगा।

(ग) सूचना प्राप्त होने के बाद, बीमा कम्पनी द्वारा जनपद की बैंक शाखाओं/पैक्स/जन सेवा केन्द्र/बीमा एजेन्ट को प्रभावित ग्राम-पंचायत/फसल को, आगे बीमा कवरेज प्रदान नहीं किये जाने के निर्देश देते हुए, प्रीमियम को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(घ) योजना के प्राविधानानुसार संयुक्त समिति द्वारा फसलों की बुआई न कर पाने/असफल बुआई की स्थिति की पुष्टि के उपरान्त, बीमा कम्पनी द्वारा आपदा प्रभावित ग्राम-पंचायत/फसल के बीमित कृषकों को बीमित राशि की 25 प्रतिशत धनराशि की क्षतिपूर्ति का भुगतान अन्तिम रूप से सूचना प्राप्त होने के 30 कार्य- दिवस के अन्दर सुनिश्चित किया जाएगा एवं प्रभावित ग्राम-पंचायत/फसल के बीमित कृषकों का आगे बीमा कवरेज समाप्त माना जाएगा।

2. <u>मध्यावस्था क्षति- (फसल की प्रारम्भिक अवस्था से फसल कटाई के 15 दिन पूर्व तक)</u>

फसल की प्रारम्भिक अवस्था से फसल कटाई के 15 दिन पूर्व तक प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण, फसल की अनुमानित उपज में सामान्य उपज की तुलना में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी की स्थिति में निम्न प्रक्रिया अपनायी जाएगी:-

(क) जनपद के राजस्व व कृषि विभाग से क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत कार्मिकों द्वारा प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण प्रभावित ग्राम-पंचायत व फसल में क्षति की सूचना 03 कार्य दिवस के अन्दर जिलाधिकारी अथवा उप कृषि निदेशक को लिखित रूप में दी जाएगी।

(ख) सूचना प्राप्त होने के 07 कार्य दिवस के अन्दर जिलाधिकारी अथवा उप कृषि निदेशक द्वारा प्रभावित ग्राम-पंचायत, जिसमें फसल की आपदा से 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने की सम्भावना हो, के सम्बन्ध में सूचना लिखित रूप से बीमा कम्पनी को उपलब्ध करायी जाएगी।

(ग) जनपद स्तर पर राजस्व, कृषि विभाग एवं बीमा कम्पनियों के अधिकारियों की गठित संयुक्त टीम द्वारा आपदा के 15 दिन के भीतर, संयुक्त सर्वेक्षण करते हुए क्षति का आंकलन किया जाएगा एवं सर्वेक्षण रिपोर्ट बीमा कम्पनी को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाएगी।

(घ) बीमा कम्पनी द्वारा फसल की क्षति की सूचना प्राप्त होने के 30 कार्यदिवस के अन्दर ग्राम-पंचायत में प्रभावित फसल के बीमित कृषकों को निम्न सूत्र के अनुसार, तात्कालिक सहायता के रूप में क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी:-

$$\text{तात्कालिक सहायता: } = \frac{\text{(गारण्टीड उपज-अनुमानित उपज)}}{\text{गारण्टीड उपज}} \times \text{बीमित राशि} \times 25\%$$

(ड.) बीमा कम्पनी द्वारा तात्कालिक सहायता के रूप में भुगतान की गयी धनराशि, मौसम के अन्त में फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर फसल की आंकलित कुल देय क्षतिपूर्ति की धनराशि में समायोजित की जाएगी।

3. <u>स्थानिक आपदाओं से फसलों की क्षति की स्थिति में</u>-

ओलावृष्टि, जलभराव (फसल धान को छोड़कर), भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से फसल की क्षति को व्यक्तिगत आधार पर बीमा कवर प्रदान में निम्न प्रक्रिया अपनायी जाएगी:-

(क) कृषकों को आपदा के 72 घण्टे के अन्दर व्यक्तिगत हानि की सूचना बीमा कम्पनी को प्रस्तुत करनी होती है, उक्त की जानकारी बीमित कृषकों को उपलब्ध कराई जाये।

(ख) कृषक द्वारा स्वयं या बीमा कम्पनी के संयुक्त टोलफ्री नम्बर-1800-889-6868 या सम्बन्धित बैंक शाखा जहॉ से बीमा कराया गया है या जनपद के कृषि व राजस्व विभाग के किसी भी स्तर के अधिकारी या ग्राम-प्रधान/क्षेत्र पंचायत सदस्य के माध्यम से व्यक्तिगत दावा प्रस्तुत किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाये कि बीमा कंपनी के कार्यालय के तथा टोल फ्री नंबर प्रत्येक दशा में क्रियाशील रहे, किसी भी

http://shasanadesh.up.gov.in

दशा में यह स्थिति नहीं होनी चाहिए कि व्यक्तिगत आपदा की सूचना कृषकों को दूरभाष या टोल फ्री नंबर सक्रिय न होने के कारण कठिनाई उत्पन्न हो।

(ग) क्राप-इन्श्योरेन्स एप (मोबाइल एप) प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है, जिसके माध्यम से फसल की क्षति की सूचना व्यक्तिगत रूप से दी जा सकती है।

(घ) कृषकों द्वारा व्यक्तिगत दावे में अपनी ग्राम-पंचायत, प्रभावित खेत का खसरा नम्बर, फसल व प्रभावित क्षेत्र का विवरण देना आवश्यक है।

(ड.) बीमा कम्पनी, टोलफ्री नम्बर- 1800-889-6868 व क्राप-इन्श्योरेन्स एप के माध्यम के अतिरिक्त अन्य माध्यम से सूचना, सूचना प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा बीमा कम्पनी को अगले 48 घंटे में प्रेषित की जाएगी।

(च) बीमा कम्पनी द्वारा सूचना प्राप्त होने के अगले 48 घन्टे के अन्दर सर्वेयर की नियुक्ति की जायेगी, तथा, अगले 10 कार्यदिवस के अन्दर सर्वेयर, जिलाधिकारी/उप कृषि निदेशक द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर नामित राजस्व व कृषि विभाग के अधिकारी व सम्बन्धित कृषक की उपस्थिति में क्षति का आंकलन, बीमित कृषक के खेत पर ही फसल की घटना के समय तक उत्पादन लागत में हुए व्यय के अनुरूप किया जाएगा।

(छ) बीमा कम्पनी द्वारा सर्वेक्षण के 15 दिवस के अन्दर आपदा की स्थिति तक, फसल की उत्पादन लागत में हुए व्यय के अनुरूप बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। बीमा कंपनी द्वारा इस सम्बन्ध में समयबद्धता सुनिश्चित की जाएगी और किसी प्रकार की शिथिलता को गम्भीरता से लेते हुए शासन और निदेशालय के संज्ञान में लाया जायेगा जिससे उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सके।

5. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से, कृषकों को अधिकाधिक लाभ प्रदान किया जाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सम्बन्ध में उपर्युक्त प्राविधानानुसार समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें, ताकि प्रदेश के कृषकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:48/2021/1761031(1)/2021/-2/145/2021 तददिनॉक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. उपायुक्त क्रेडिट-II, भारत सरकार, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली,
2. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश,
3. कृषि निदेशक, उ0प्र0 को प्रभावी अनुश्रवण हेतु,
4. समस्त उप/संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश,
5. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संलग्नक: यथोक्त।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in